निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 18 / 2024
दायरा दिनांकः—19.03.2024
निर्णय दिनांकः— 3.12.24

उनवान

राजेश कुमार उम्र 35 साल पुत्र बाबूलाल जाति चमार निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा हाल निवासी झिरी के हनुमान के पास कंसुआ कोटा जिला कोटा (राज0)

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र धुल्या जाति चमार निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा हाल निवासी डी.सी.एस स्कुल कंसुआ अर्फोडेबल के सामने कंसुआ कोटा (राज0)
2. रामस्वरूप पुत्र बाबूलाल जाति चमार निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा हाल निवासी डी.सी.एस स्कुल कंसुआ अर्फोडेबल के सामने कंसुआ कोटा (राज0)
3. छोटी बाई पत्नि बाबूलाल जाति चमार निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा हाल निवासी डी.सी.एस स्कुल कंसुआ अर्फोडेबल के सामने कंसुआ कोटा (राज0)
4. चन्द्रमोहन पुत्र धुल्या जाति चमार निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा हाल निवासी सांई किराना स्टोर के पास वाली गली नम्बर 2 नियर कुन्हाडी नान्ता रोड कोटा जिला कोटा (राज0)
5. कंचन बाई पुत्र धुल्या जाति चमारं निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा हाल निवासी आमली तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 3.12.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री सुरेन्द्र कुमार भार्गव – प्रार्थी
2. श्री रामनिवास वैष्णव– अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम हफीजपुरा तहसील छबडा जिला बांरा राजस्थान में भूमी खसरा नंबर 165 रकबा 1.4795 है० एवं खसरा नंबर 166 रकबा 2.3140 है० कुल किता 2 रकबा 3.7935 है० अप्रार्थी कम 1. 4 व 5 के खातेदारी में चली आ रही है। वाद ग्रस्त भूमी का पूर्व खातेदार धुल्या पुत्र बलदेव साकिन तुर्कीपाडा था। उसके देहान्त के पश्चात यह भूमी उसके वारिसान के खातेदारी में दर्ज हुई

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्राथना पत्र अन्तंगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

......2

। अप्रार्थी कम 1 व 4 धुल्या के पुत्र है। अप्रार्थी कम 5 धुल्या की पुत्री है। तथा बसनी बाई धुल्या की पत्नी थी जो फोत हो चुकी है, तथा प्रतिवाद प्रतिवादी कम 1 बाबूलाल के दो पुत्र है। जिनमें वादी राजेश कुमार तथा अप्रार्थी कम–2 रामस्वरूप है। तथा अप्रार्थीया कम– 3 पत्नी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त भूमी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की (coparcenary property) सहदायकी सम्पत्ती है। जिसमें सभी का जन्म से ही अधिकार निहित है। वर्तमान नकल जमाबंदी अनुसार अप्रार्थी कम 1. 4 व 5 का हिस्सा 1/4 1/4 का है। किन्तु खातेदार बसनी बाई जो अप्रार्थी कम 1. 4 व 5 की मां थी, जो फोत हो चुकी है। इस कारण खातेदार बसनी के हिस्से के स्थान पर अप्रार्थी कम 1.4 व 5 में बराबर बट जाने के कारण कम 1. 4 व 5 का हिस्सा 1/3, 1/3 का हो गया है। इस अनुसार अप्रार्थी कम–1 का हिस्सा 1/3 है। अप्रार्थी कम 1 के दो बेटे व एक पत्नी होने से प्रत्येक का हिस्सा 1/12 1/12 का है। इस प्रकार प्रार्थी का हिस्सा विवादित आराजी में 1/12 का है। प्रार्थी यह घोषणा कराने का अधिकारी है. कि वादग्रस्त भूर्ती (coparcenary property) सहदायिकी सम्पत्ती है। जिसमें उसका हिस्सा जन्म से ही निहित होने के कारण वह स्वंम 1/12 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित कराने का कानूनन अधिकारी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त भूमी को काश्त करने के संबध में तथा उसका लगान जमा कराने के संबध में विवाद बना रहता है। भूमी का विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वह इसका विकास भी नहीं करा पा रहा है। इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतू वादग्रस्त भूमी का विभाजन कराकर अपने हिस्से की भूमी अपने पृथक खाते दर्ज कराना चाहता है। जिसका वह कानूनन अधिकारी है। अप्रार्थी कम–1 ने अप्रार्थी कम 2 व 3 के बहकावे में आकर अपने हिस्से सम्पूर्ण पर एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा कोटा रोड बांरा से लोन ले ली है। लोन से प्राप्त राशि को अप्रार्थी कम 1 ता 3 ने आपस में बांट लिया है। तथा अब लोन राशि जमा कराने के लिए प्रार्थी पर दवाव बना रहें है, जबकी प्रार्थी ने प्राप्त हुई लोन राशि में से 1 भी रूप्या अप्रार्थी कम 1 से नहीं लिया है। अप्रार्थी कम 1 ता 3 आये दिन प्राथर्थी के साथ गाली–गलोचकर अभद्र व्यवहार कर लोन राशि जमा कराने की मांग करते रहते है, जो गैरकानूनी है। तथा प्रार्थी को धमकीया देते है. कि यदि तुने लोन राशि जमा नहीं करवाई तो विवादग्रस्त भूमी में से एक फुट भी जमीन नहीं देंगे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हफीजपुरा सम्वत् 2073–76 खख्या 22 नकल नामान्तरण संख्या 276 दिनांक 19.07.2023 फोटो प्रति आधार कार्ड राजेश कुमार पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कंथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हफीजपुरा तहसील छबडा में स्थित है विवादित आराजी के पूर्व खातेदार धुल्या पुत्र बलदेव सा0 तुर्कीपाडा था। उसके फोत होने के बाद विवादित आराजी उसके वारिसान के खातेदारी में दर्ज हुई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त परिवार के सदस्य है विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहदायकी सम्पति है जिसमें सभी का जन्म से ही अधिकार है बसनी बाई का देहान्त हो चुका है इसलिए अप्रार्थी क्रम 1,4,5 का हिस्सा 1/3 1/3 है अप्रार्थी क्रम 1 के दो बेटे व एक पत्नि होने से प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2,3 प्रत्येक का 1/2 1/2 हिस्सा है प्रार्थी अपने हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

/2 का खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है अप्राथी क्रम 1 प्रार्थी के हिस्से की भूमि को रहन बेचान करने पर आमादा है प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि देना नही चाहता है तथा भूमि को बैंक में रहन रख कर अप्राथी क्रम 1 ता 3 द्वारा रूपयो का दुरूपयोग किया गया तथा प्रार्थी का लोन जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है यदि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थी के हिस्से की भूमि का रहन बेचान कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का विवादित आराजी का कभी कब्जा काश्त नही रहा है अप्रार्थी क्रम 1,4,5 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का कानूनी रूप से उक्त भूमि पर हक हकुक नही है प्रार्थी द्वारा मन गढन्त तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी क्रम एक को ना रोटी की ओर ना ही अच्छा व्यवहार किया। तथा शराब पीकर आये दिन झगडा करता रहता है तथा भूमि को अपने खाते लगवाकर बेचान करना चाहता है प्रार्थी का भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा। प्रार्थी जबरन अप्रार्थीगण को परेशान करने एवं भूमि का बेचान करने पर आमादा है तथा आये दिन शराब पीने का आदी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हफीजपुरा सम्वत् 2073–76 खाता सख्या 22 के अनुसार कंचन बाई पुत्री धुल्या हिस्सा 1/4 चन्द्रमोहन पुत्र धुल्या हिस्सा 1/4 बसनी बाई पत्नि स्व0 धुल्या हिस्सा 1/4 एवं बाबूलाल पुत्र धुल्या हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1,4,5 एवं मृतक बसनी बाई के शामलाती खातेदारी में है। प्रार्थी, अप्रार्थी क्रम 1 का पुत्र है तथा पेतृक सम्पति में अपने अधिकारों की घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजी से सम्बन्धित मूल वाद विचाराधीन है प्रार्थी के हितों का निस्तारण मूल वाद में किया जायेगा। प्रकरण में वाद बहुलता को रोकने के लिए अप्रार्थी क्रम 1 को अपने हिस्से तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करना न्यायोचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हफीजपुरा तह. छबडा के खसरा नं. 165 रकबा 1.4795 हैक्टयर, खसरा नं. 166 रकबा 2.3140 हैक्टयर में हिस्सा 1/4 के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा